CORPS & PSYCHISME
P-ISSN: 2496-4476 **E-ISSN:** 2273-1571
Volume 10/ Issue 2/ 2023

चुनाव और प्रतिनिधित्व

डॉ. प्रिया मेहरा
लोक प्रशासन और शासन अध्ययन केंद्र
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, भारत

चुनाव

लोकतांत्रिक सरकार के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक चुनावी प्रक्रिया है, जिसके ज़रिए नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। समकालीन लोकतंत्रों में राजनेताओं को लोकप्रिय वोट (और कभी-कभी न्यायपालिका और कार्यपालिका) द्वारा पद के लिए चुना जाता है। चुनाव ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके ज़रिए क्षेत्रीय और नगरपालिका सरकारों के सदस्यों का चयन किया जाता है। चुनाव सिर्फ़ सार्वजनिक संस्थानों में ही नहीं बल्कि क्लब, कॉलेज, चर्च आदि जैसे निजी संस्थानों में भी होता है। सुशासन उन लोगों के कंधों पर टिका होता है जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सरकार का प्रशासन उनके साथियों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, बड़ी आबादी और व्यापक राज्य के साथ व्यक्तिगत नागरिकों के लिए शासन में हाथ बंटाने के अवसर की कमी होती है। यही कारण है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जानी जाने वाली सरकार का एक रूप स्थापित किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया

भारत में चुनाव कई स्तरों पर होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकसभा और अलग-अलग राज्य विधानसभाएँ दोनों संविधान द्वारा अनिवार्य हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत मतदान। अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में स्थापित करता है। 1989 से पहले, चुनाव आयोग में केवल एक व्यक्ति होता था, लेकिन उस वर्ष 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति के एक नोटिस ने टीम में दो अतिरिक्त आयुक्तों को जोड़ा। कुछ राज्य अन्य की तुलना में 543 लोकसभा सीटों में से बड़े अनुपात में चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या भी भिन्न होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सांसदों और विधायकों को वयस्क मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाता है, जबकि नगरपालिका चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग करता है। लोकसभा या विधानसभा का कोई सदस्य अधिकतम पांच साल तक सेवा कर सकता है। "चुनावी

P-ISSN: 2496-4476 **E-ISSN:** 2273-1571
Volume 10/ Issue 2/ 2023

प्रक्रिया का पहला चरण चुनाव आयोग द्वारा उनके चुनाव की अधिसूचना है एक दिन बीत जाने के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए रखा जाता है। अन्य कारणों से भी नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। जो लोग चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें नामांकन की समय सीमा के बाद अपने कागजात वापस लेने के लिए दो दिन का समय दिया जाता है और सभी प्रासंगिक जानकारी साझा किए जाने के बाद उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया जाता है। 1993 के विधानसभा चुनावों के लिए चार दिन की खिड़की और 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए दस दिन की खिड़की के पीछे जानबूझकर योजना बनाई गई थी। जबकि तीन दिन आदर्श हैं, ज्यादातर लोग इसे दो दिनों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। यदि पहले वोट की गिनती के परिणाम अनिर्णायक हैं, तो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जा सकता है। आम तौर पर, मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच निर्दिष्ट मतदान स्थलों पर होता है।

मताधिकार आयु

विभिन्न देशों में मतदान की आयु अलग-अलग है। डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही मतदान कर सकता है, जबकि नॉर्वे में यह आयु 23 वर्ष है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी अब मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार, वे सभी पुरुष और महिलाएँ जो 18 वर्ष की आयु के हैं, बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के हकदार हैं। मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक है:

- **वह भारत का नागरिक हो,**
- **उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो,**
- **वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो,**
- **ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो।**

प्रतिनिधित्व की प्रणाली

सभी योग्य वयस्कों को मतदान करने और अपने देश को चलाने के तरीके में अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम होना चाहिए। जो लोग मतदाताओं के अधिकारों को बनाए रखते हैं, वे कार्यालय के लिए चुने जाते हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव विधायिका में सीटें भरने के दो सबसे आम तरीके हैं।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

कई लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, और इसे व्यापक स्वीकृति मिली है। इसके अनुसार, एक निश्चित क्षेत्र के मतदाता एक प्रतिनिधि को बड़े पैमाने पर चुनते हैं। राष्ट्र का प्रत्येक क्षेत्र एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, और इसके प्रतिनिधि को बड़े

P-ISSN: 2496-4476 **E-ISSN:** 2273-1571
Volume 10/ Issue 2/ 2023

पैमाने पर चुना जाता है। सभी नागरिक कई जिलों में से किसी एक में मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें प्रत्येक जिले में लगभग समान संख्या में लोग हैं।

कार्यकारी प्रतिनिधित्व

कारखाने के कर्मचारी, दुकान के मालिक, वकील, शिक्षक, ट्रक चालक और अन्य सहित कई व्यवसायों के प्रतिनिधि कार्यकारी शाखा में सेवा करने के लिए चुने जाते हैं। इस तरह एक ही श्रेणी के व्यक्तियों के अलग-अलग समूह स्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक एक राजनीतिक दल बना सकते हैं और अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। मतदाताओं को उनके विशिष्ट व्यावसायिक समूह के आधार पर प्रतिनिधि चुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तरह, इस निर्वाचन क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है और इसके बजाय लोगों द्वारा की जाने वाली नौकरियों से परिभाषित होती है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि कार्यबल में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की बात सुनी जाए। एक निश्चित समूह के मतदाता एक प्रतिनिधि के निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह समुदाय दुनिया के किसी निश्चित स्थान पर स्थित हो सकता है। उन स्थानों के मतदाता लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में मतदान करते हैं। फिर भी, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधान सभा के मतों से अलग होता है। एक या एक से अधिक लोग एक निर्वाचन क्षेत्र बना सकते हैं।

एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र: **एकल सदस्य शब्द का उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। 50 राज्यों और कोलंबिया जिले में से प्रत्येक को इन 543 क्षेत्रों में से एक में विभाजित किया गया है। भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और पाकिस्तान सभी एक सदस्य वाली संसदीय प्रणाली का उपयोग करते हैं।**

बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र: **इस पद्धति को संदर्भित करने के लिए अक्सर जेनेरिक टिकट प्रणाली शब्द का उपयोग किया जाता है। एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वह होता है जो एक से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली सभी में समान प्रणाली लागू है। देश के प्रत्येक बड़े निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी संख्या में सांसदों का चयन किया जाता है। चाहे किसी पार्टी के मतदाता कहीं भी केंद्रित हों, पार्टी के उम्मीदवारों का विधानमंडल में प्रतिनिधित्व होगा।**

जब कई लोग शामिल होते हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि का उपयोग किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित प्रतिशत चाहिए होता है। चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को योग्य मतदाताओं से वोट मिलना चाहिए। वे मतपत्र पर उम्मीदवारों

P-ISSN: 2496-4476 **E-ISSN:** 2273-1571
Volume 10/ Issue 2/ 2023

के नाम के आगे एक चेकमार्क बनाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व नामक अध्याय में, आप इस रणनीति के बारे में गहराई से जानेंगे। इस प्रकार, मतदाता अपने मतपत्र को मौजूदा चुनावी प्रणाली के अनुसार डालते हैं। अब सबसे प्रमुख मतदान विधियों पर चर्चा की जाएगी।

सरल बहुमत प्रणाली: **एकल-सदस्यीय जिले में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को साधारण बहुमत विधि के तहत निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि एक से अधिक दावेदार हैं, तो यह दृष्टिकोण भीड़भाड़ वाला क्षेत्र बना सकता है। इसके अतिरिक्त, चार, पाँच या इससे भी अधिक संभावित विकल्प हो सकते हैं। 50% से कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। भारत के आम चुनाव में भी इसी तरह का पैटर्न देखा जा सकता है।" यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे देश साधारण बहुमत प्रणाली का उपयोग करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इसी पद्धति का दूसरा नाम है। इसी पद्धति से हम लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।**

निष्कर्ष

काफी हद तक, लोकतंत्र की सफलता और वैधता, प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले देशों में चुनावों और चुनावों की प्रतिनिधि प्रकृति पर निर्भर करती है। ऐसे कई संकेतक हैं जो भारत की चुनावी प्रणाली की सफलता की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले, हमारी चुनावी प्रणाली ने नागरिकों को न केवल स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति दी है, बल्कि संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासन को शांतिपूर्वक बदलने की भी अनुमति दी है। दूसरे, नागरिकों ने चुनावी प्रक्रिया में लगातार रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई है। मतदाता उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बढ़ते क्षेत्र में से चुन सकेंगे। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, मतदान प्रणाली ने सभी को समायोजित किया है और उन्हें अपने साथ ले गया है। समय के साथ, हमारे विधायकों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी बदल गई है। अब, हमारे पास विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रतिनिधि हैं, फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी स्वीकार्य स्तर तक नहीं सुधरा है। हालाँकि चुनावों में धांधली करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन चुनावी अनियमितताएँ और धांधली देश के अधिकांश क्षेत्रों में परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलती हैं। आपने शायद कई लोगों को चुनाव से संबंधित हिंसा, मतदान दमन और अन्य प्रकार की धमकी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुना होगा। हालाँकि, इस तरह के मामलों का चुनाव परिणामों पर शायद ही कभी निर्णायक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ

P-ISSN: 2496-4476 **E-ISSN:** 2273-1571
Volume 10/ Issue 2/ 2023

1. मन्त्री, बर्नार्ड (1997)। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पीपी. 1–7. आईएसबीएन 9780511659935.
2. चुनाव (राजनीति विज्ञान)। एनसाइक्लोपीडियालाइक ब्रिटानिका। 18 अगस्त 2009 को पुनःप्राप्त
3. एरिक डब्ल्यू रॉबिन्सन (1997)। पहला लोकतंत्र: एथेंस के बाहर प्रारंभिक लोकप्रिय सरकार। फ्रांज स्टीनर वेरलाग। पीपी. 22–23. आईएसबीएन 978-3-515-06951-9.
4. गननोक। चेन्नई: शैव सिद्धार्थ नूर पथिप्पु कझगम। 1968. पीपी. 183–186.
5. नितीश के. सेनगुप्ता (1 जनवरी 2011)। इंपीरियल पालास। दो नदियों की भूमि: महाभारत से मुजीब तक बंगाल का इतिहास। पेंगुइन बुक्स इंडिया। पीपी. 39-49। आईएसबीएन 978-0-14-341678-4।
6. बिप्लब दासगुप्ता (1 जनवरी 2005)। यूरोपीय व्यापार और औपनिवेशिक विजय। एंथम प्रेस। पीपी. 341–। आईएसबीएन 978-1-84331-029-7।
7. वीके अग्निहोत्री, एड. (2010)। भारतीय इतिहास (26वां संस्करण)। संबद्ध। पीपी. बी-62–बी-65। आईएसबीएन 978-81-8424-568-4।
8. स्वतंत्रता-पूर्व चुनाव पद्धति। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग, भारत। मूल से 29 अक्टूबर 2011 को संग्रहीत। 3 नवंबर 2011 को पुनःप्राप्त।
9. एफ़ोर | स्पार्टन मजिस्ट्रेट।
10. हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज़। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग।
11. प्राचीन यूनानी लोकतंत्र।
12. लोकतंत्र का जन्म: सोलन द लॉगिवर।